[2019] 2 एस. सी. आर 41

जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड। (जेएएल)

इसके निर्देशक के माध्यम से

वी.

तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड।

(टीएचडीसी) अपने निर्देशक के माध्यम से

(2019 की सिविल अपील संख्या 1539)

फरवरी 07,2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अनुदान पर रोक लगाने वाले अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 50 और 51 को ध्यान में रखते हुए ब्याज के पुरस्कार पर थोड़ी ब्याज की आपत्ति ने सीमित पुरस्कार को रद्द कर दिया। ब्याज

डिवीजन बेंच द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गई

उच्च न्यायालय के हित में अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः चूंकि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 50 और 51 ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर ब्याज देने के लिए रोक लगा दी थी, इसलिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

सिद्धांत/सिद्धांतः

इजसडेम जेनरिस का सिद्धांत-इसकी प्रयोज्यता-चर्चा की गई

यह सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं है-क़ानूनों की व्याख्या-व्याख्या के नियम।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 मध्यस्थता कार्यवाही के चरण से ही

उच्च न्यायालय तक, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी. सी. सी.) के खंड 50 और 51 की व्याख्या यह अभिनिर्धारित करने के लिए की जाती है कि वे ब्याज देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर रोक लगाते हैं। यहां तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय ने भी इसे मान्यता दी। इसके बावजूद, इसने पोर्ट ऑफ कलकत्ता मामले के लिए न्यासी मंडल पर भरोसा करके ब्याज प्रदान किया। यदि जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ब्याज देने के लिए रोक लगा दी, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। एकल पीठ के साथ-साथ खंड पीठ दोनों, उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि उपरोक्त निर्णय 1940 के अधिनियम और इस मामले में कानूनी स्थिति के तहत था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सईद अहमद और कंपनी के मामले में कौन सी स्थिति स्पष्ट की गई है, यह पक्ष ने एक आदर्श परिवर्तन लिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्क उस कानूनी स्थिति के अनुरूप है जो बनी हुई है

निर्णयों के कैटेना द्वारा क्रिस्टलीकृत। [पैरा 16] [55-सी-ई]

1.2 चंद्रा मामले में फैसला 1940 के अधिनियम के तहत दिया गया है। इस निर्णय को समझाया और अलग किया गया है

** सईद अहमद और कंपनी का मामला। सईद अहमद एंड कंपनी में चंद्र मामले में प्रतिबंधात्मक शब्दों को अलग करने वाले फैसले का इस अदालत ने लगातार कई मामलों में पालन किया है। इस परिदृश्य में, जब यह पाया जाता है कि #Harish चंद्र मामला जो 1940 के अधिनियम का पुराना है और * * सईद अहमद और कंपनी मामले में इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि * * सईद अहमद और कंपनी मामले का अनुपात

कंपनी के मामले का लगातार पालन किया गया है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पहली बार में और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जीसीसी के खंड 50 और 51 के निर्माण से विचलित होने का कोई कारण नहीं है। [पारस 19 और 20] [56-सी-डी, 57-एच, 58-ए-बी]

सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार

& ओआरएस। वी. जी. सी. रॉय (1992) 1 एससीसी 508: [1991] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 417-अनुसरण किया गया।

टिहरी पनबिजली विकास निगम (टीएचडीसी) लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (2012) 12 एस. सी. सी. 10 [2012] 8 एस. सी. आर. 813; सईद अहमद और कंपनी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2009) 12 एस. सी. सी. 26 [2009] 10 एस. सी. आर. 841; श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम। मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पालघाट और अन्य। (2010) 8 एस. सी. सी. 767 [2010] 10 एस. सी. आर. 487; भारत संघ बनाम। उज्ज्वल बिजली परियोजनाएं (भारत)

प्राइवेट लिमिटेड (2015) 9 एससीसी 695: [2015] 6 एस. सी. आर. 488; श्री चित्तरंजन मैती बनाम। भारत संघ (2017) 9 एस. सी. सी. 611 [2017] 11 एस. सी. आर. 722; रिलायंस सेल्युलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम

लिमिटेड (2018) 9 एससीसी 266: [2018] 6 एससीआर 618-निर्भर

पर। * कलकत्ता बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल बनाम। इंजीनियरों

डी-स्पेस-एज (1996) 1 एस. सी. सी. 516 [1995] 6 पूरक।

एससीआर 327-प्रतिष्ठित।

जयप्रकाश ए. एस. ओ. सी. लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड।

#उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। हरीश चंद्र एंड कंपनी

(1999) 1 एससीसी 63: [1998] 2 पूरक। एससीआर 660-खड़ा था

प्रतिष्ठित।

2. इजस्देम जेनरिस का सिद्धांत लागू नहीं होता है

वर्तमान मामला। एजुस्डेम जेनरिस का नियम केवल तभी लागू होगा जब एक अलग जीनस या एक श्रेणी हो, जिसकी तत्काल मामले में कमी हो। यह नियम तब लागू होता है जब किसी खंड, श्रेणी या वंश से संबंधित विशेष शब्दों के बाद सामान्य शब्द होते हैं। ऐसी स्थिति में, सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों तक सीमित माना जाता है जो निर्दिष्ट हैं। इस अर्थ में, यह नियम व्याख्या के अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट और सामान्य शब्दों के बीच असंगतता को मिलाने के प्रयास को दर्शाता है कि एक क़ानून में सभी शब्दों को प्रभाव दिया जाता है यदि संभव है कि किसी कानून का समग्र रूप से अर्थ लगाया जाए और किसी कानून में किसी भी शब्द को अनावश्यक नहीं माना जाए।

[पैरा 21] [58 सी, ई-एफ]

लोकमत न्यूजपेपर्स प्रा. लिमिटेड वी. शंकरप्रसाद (1999)

6 एससीसी 275 [1999] 3 एससीआर 907; भारत हैवी

इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड v. ग्लोब हाय-फैब्स लिमिटेड (2015) 5

एस. सी. सी. 718

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 6 पूरक। एससीआर 327

प्रतिष्ठित

पै

रा 4

[2012] 8 एससीआर 813

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[1998] 2 पूरक। एससीआर 660

प्रतिष्ठित था।

पै

रा 6

[2009] 10 एससीआर 841

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1991] 3 पूरक। एससीआर 417

पै

रा 12 (ए)

पीछा किया।

[2010] 10 एससीआर 487

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2015] 6 एससीआर 488

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2017] 11 एससीआर 722

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2018] 6 एससीआर 618

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[1999] 3 एससीआर 907

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

(2015) 5 एस. सी. सी. 718

उस पर भरोसा करें

[2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1539

2011 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) सं. 596 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.12.2012 के निर्णय और आदेश से रूपिंदर एस. सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पवन उपाध्याय, सर्वजीत प्रताप सिंह, सुश्री कृति चोपड़ा, रतिक शर्मा, विनोद कुमार। बेहरा, सुश्री स्वाति स्मिता

पति, सलमान खान (सुश्री शर्मिला उपाध्याय के लिए), अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पुनीत तनेजा, सुश्री शाहीन, मोहित पांडे, एस. बी. मुखर्जी, सुश्री राका चटर्जी, सुश्री मनीषा सिन्हा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. इसमें अपीलार्थी को वह अनुबंध दिया गया था जिसके तहत उसे कुछ कार्यों को निष्पादित करना था। इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

18 दिसंबर, 1998। दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद हुए। चूँकि समझौते में एक मध्यस्थता खंड था, इसलिए अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दो दावों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण तीन मध्यस्थों का था। यह मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत थी। 10 अक्टूबर, 2010 को घोषित बहुमत पुरस्कार ने कुछ हद तक दोनों दावों की अनुमति दी। दिए गए उक्त दावों पर, मध्यस्थों ने मध्यस्थता की तारीख से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया, यानी 09 अक्टूबर, 2007 से निर्णय के 60 दिन बाद तक। भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज भी दिया गया था।

3. इस न्यायालय तक पहुँचा विवाद केवल इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या मध्यस्थ इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई ब्याज दे सकते हैं।

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी. सी. सी.) के खंड 50 और 51 जो पक्षों के बीच शर्तों को नियंत्रित करते हैं। आपत्तियाँ उच्च न्यायालय में दायर की गईं। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने 15 नवंबर, 2011 को आदेश पारित किया, जिसमें मध्यस्थों द्वारा दिए गए ब्याज तक सीमित पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी

अंतर-न्यायालय अपील को प्राथमिकता दी गई जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिससे एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा गया है। प्रभाव यह है कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 मध्यस्थों को ब्याज देने से रोकते हैं।

AIPRAKAS ASSOC। लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]4. यह इंगित किया जा सकता है कि अनुबंध की शर्तों के खंड 50 और 51 की व्याख्या करने पर, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार इन खंडों में स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि ठेकेदार को देय धन पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। उक्त खंड इस प्रकार हैं -

" खंड 50 ठेकेदार को देय धन पर ब्याज माप पर देय राशि का भुगतान करने के लिए प्रभारी अभियंता की ओर से कोई चूक या अन्यथा दूषित नहीं होगी या

अनुबंध को रद्द कर देगा, न ही ठेकेदार किसी भी गारंटी या बकाया भुगतान पर ब्याज का हकदार होगा और न ही किसी भी शेष राशि पर जो उसके खाते के अंतिम निपटान पर उसे देय हो।

खंड 51 विवाद के कारण विलंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं

आदि।

निगम द्वारा ब्याज या क्षति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा या किसी भी राशि या शेष राशि के संबंध में देय नहीं होगा।

किसी भी विवाद के कारण निगम के साथ झूठ बोल रहा हो सकता है, पक्षों के बीच अलग या गलतफहमी या किसी भी देरी के संबंध में हो सकता है

या किसी अन्य मामले में मध्यवर्ती या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता की ओर से चूक

जो भी हो "।

पुरस्कार इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां करता हैः

" जैसा कि ऊपर से देखा गया है, अनुबंध का खंड 50 और 51 विवाद आदि के कारण प्रत्यर्थी द्वारा दावेदार के बकाया पर ब्याज से इनकार करते हैं। हालाँकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत निर्णय के अनुसार, ब्याज के दावे पर विचार किया जा सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा। ”

इसके बावजूद, विद्वान मध्यस्थों ने इस न्यायालय द्वारा बोर्ड ऑफ कोर्ट में घोषित कानून पर भरोसा करके इस पद को प्रदान किया।

पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-आयु 1 और उक्त निर्णय से विंग टिप्पणियों को उद्धृत किया गया थाः

..... दूसरे शब्दों में, उनके प्रभुता के अनुसार

मध्यस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वह देश के सामान्य कानून के अनुसार कार्य करेगा और अपना निर्णय देगा, लेकिन एक समझौते के अधीन,

बशर्ते समझौता वैध और कानूनी हो। अंत में, यह बताया गया कि विचाराधीन ब्याज मूल कानून का मामला नहीं है, संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज है। उनकी प्रभुता

यह निष्कर्ष निकाला कि जब पक्षों के बीच समझौता होता है

ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है

और उस विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, उसके पास होगा

साधारण कारण से ब्याज देने की शक्ति

ऐसे मामले में यह माना जाता है कि ब्याज निहित अवधि थी -

पक्षों के बीच समझौता; यह तब अभ्यास का विषय है

मध्यस्थ द्वारा विवेकाधिकार। अतः विधि की स्थिति है -

संविधान के उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है

कड़ाई से शब्द का अर्थ लगाया

बेंच। अनुबंध केवल आयुक्त को ब्याज का भुगतान करने से रोकता है।

विलंबित भुगतान के लिए ठेकेदार को लेकिन एक बार जब मामला जाता है

मध्यस्थ का विवेकाधिकार किसी भी तरह से नहीं है,

अनुबंध की इस अवधि से दबा दिया जाएगा और मध्यस्थ होगा

लटकते ब्याज के अनुदान के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार और ब्याज प्रदान करता है यदि वह दावे को उचित पाता है। हम हैं,

इसलिए, यह राय कि अनुबंध के खंड के तहत

मध्यस्थ को ब्याज देने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

थोड़ी देर के लिए "।

5. जैसा कि ऊपर कहा गया है, दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने लिया है

यह विचार कि यदि पक्षों के बीच अनुबंध की व्यक्त शर्तों के अनुसार ब्याज निषिद्ध है, तो मध्यस्थ को ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता है। इसके अलावा, जहां तक उपरोक्त खंडों की व्याख्या का संबंध है, उच्च न्यायालय ने देखा कि ये खंड अनुबंध के खंड 1.2.14 और 1.2.15 के समान शर्तों पर थे जो टिहरी पनबिजली विकास में निर्माण का विषय थे।

निगम (टीएचडीसी) लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि उन खंडों का अर्थ यह है कि ठेकेदार को विलंबित भुगतान के दावे पर कोई ब्याज देय नहीं था। इसलिए, तत्काल मामले में जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 को भी यही संरचना देने की आवश्यकता थी।

6. श्री रूपिंदर एस. सूरी, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी ने हमारे समक्ष दो-गुना प्रस्तुतियाँ कीं, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

(i) सबसे पहले, यह निर्णय प्रस्तुत किया जाता है कि

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का मामला पहले के मामले के विपरीत है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय।

हरीश चंद्र एंड कंपनी 3. दोनों निर्णय इस प्रकार हैं

2 (2012) 12 एससीसी 10 3 (1999) 1 एस. सी. सी. 63 जयप्रकाश ए. एस. ओ. सी.

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

तीन न्यायाधीशों की पीठ। उनका कहना है कि हरीश चंद्र का फैसला समय से पहले का है, जिस पर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे परिदृश्य में, श्री सूरी के अनुसार, जो निर्णय पहले पारित किया गया है, उसे लागू किया जाना चाहिए और इसलिए हमें निर्देशित किया जाना चाहिए।

हरीश चंद्र मामले में निर्धारित कानून द्वारा।

(ii) दूसरा निवेदन, वैकल्पिक रूप से, यह है कि विवाद को हल करने के लिए, मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

7. पहली प्रस्तुति पर विस्तार करते हुए, श्री सूरी का एक प्रयास यह दिखाने का था कि विचाराधीन अनुबंध के खंड, जब व्याख्या की जाती है

सही ढंग से यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि ये खंड मध्यस्थों को ब्याज देने से नहीं रोकते थे। विद्वान वकील ने जी. सी. सी. के खंड 51 में आने वाले शब्दों "या किसी भी अन्य सम्मान" पर जोर दिया और तर्क दिया कि इन्हें सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए और खंड के पहले भाग से उनका रंग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि

जब इन शब्दों को उपरोक्त तरीके से पढ़ा जाता है, तो केवल उन मामलों में जहां पक्षकारों के बीच किसी विवाद, मतभेद या गलतफहमी आदि के कारण प्रत्यर्थी के पास कुछ राशि या शेष राशि पड़ी है, ब्याज देय नहीं है। ऐसी स्थिति उन मामलों में उत्पन्न नहीं होगी जहां अन्य मामलों पर दावा किया जाता है और मध्यस्थों द्वारा निर्णय दिया जाता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में अनुबंध में खंड 51 हरीश चंद्र मामले में अनुबंध के खंड 1.9 के समान था और अदालत ने उक्त खंड की व्याख्या इस अर्थ में की कि मध्यस्थ ब्याज देने से वंचित नहीं था।

8. इस रंग में, उनका वैकल्पिक निवेदन था कि हरीश में दो समान या लगभग समान खंडों की व्याख्या अलग तरीके से की गई है।

चंद्रा मामला और जयप्रकाश एसोसिएट्स मामला और इसलिए, संघर्ष उत्पन्न होता है जिसे हल करने की आवश्यकता है।

9. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी ने उपरोक्त दलीलों का समान रूप से जोरदार जवाब दिया।

श्री सूरी का। उनका पहला तर्क था कि हरीश चंद्र मामले और वर्तमान मामले में खंड पूरी तरह से अलग थे। जहां तक तत्काल मामले का संबंध है, यह जयप्रकाश एसोसिएट्स के फैसले में निर्धारित कानून द्वारा शासित था, जो वास्तव में उन्हीं पक्षों के बीच का मामला था और उस मामले में अदालत ने समान रूप से शब्दों वाले खंडों का अर्थ लगाते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मध्यस्थों को कोई ब्याज देने से रोक दिया गया था। उनका एक और तर्क था कि [2019] 2 एस. सी. आर. के तहत प्रदान की गई योजना के बीच अंतर था।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (इसके बाद '1940 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) जब 1996 के अधिनियम के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया कि हरीश चंद्र सहित अपीलार्थी द्वारा उद्धृत अधिकांश निर्णय 1940 अधिनियम के तहत थे, जबकि तत्काल मामले में पुरस्कार 1996 अधिनियम के तहत पारित किया गया था। उन्होंने कुछ हाल के फैसलों का भी उल्लेख किया जो इस न्यायालय द्वारा इसी पहलू को छूते हुए दिए गए हैं। जिस सटीक तरीके से उन्होंने अपने तर्कों को संरचित किया, उसे नीचे दोहराया गया हैः

10. पहले उदाहरण में, उन्होंने बताया कि मध्यस्थों ने भी जीसीसी खंड 50 और 51 की व्याख्या पर स्वीकार किया कि ये

खंड विवाद आदि के कारण प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के बकाया पर ब्याज से इनकार करते हैं। इसके बावजूद, बहुमत की राय ने कलकत्ता बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर ब्याज दिया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त दृष्टिकोण को उलटते हुए बताया कि 1996 के अधिनियम ने 1940 के अधिनियम में निहित स्थिति को बदल दिया था। नए अधिनियम के तहत, एक मध्यस्थ विचाराधीन लघु ब्याज नहीं दे सकता था जब इस तरह के ब्याज के पुरस्कार के खिलाफ एक स्पष्ट बार था। यह कानूनी स्थिति 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) में निहित है और सईद अहमद और कंपनी बनाम के मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य

& ओआरएस। 4. इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि जब जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 ने लम्बित ब्याज देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर एक पूर्ण प्रतिबंध लगाया, तो मध्यस्थों को ब्याज देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। श्री बनर्जी ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने हरीश चंद्र मामले में फैसले पर भी ध्यान दिया और इसे इस आधार पर अलग किया कि यह 1940 के अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा, हरीश चंद्र मामले में खंड 1.9 वास्तव में प्रतिबंधात्मक था और इससे अलग था

जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 के शब्द जो सईद अहमद मामले में खंड जी 1.09 के करीब थे। उस आधार पर, हरीश चंद्र के फैसले को अलग किया गया था कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी किस स्थिति को बरकरार रखा है। श्री बनर्जी ने कहा कि सितंबर, 2012 में जब डिवीजन बेंच ने मामले का फैसला किया, तब तक उसे टी. एच. डी. सी. मामले में इस अदालत के एक और फैसले का लाभ मिला था, जो न केवल उन्हीं पक्षों के बीच था, बल्कि उक्त मामले के खंड भी वर्तमान मामले के खंडों के समान थे।

11. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है और चले गए हैं

दोनों पक्षों द्वारा हमारे समक्ष उद्धृत मामले के कानूनों में निहित कानूनी स्थिति के माध्यम से। 4 (2009) 12 एस. सी. सी. 26 जयप्रकाश ए. एस. ओ. सी.

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

12. जहां तक पूर्व निर्देश और/या लंबित ब्याज देने में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की शक्ति का संबंध है, विभिन्न निर्णयों से जिन सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उनका सारांश नीचे दिया गया हैः

(क) सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ का निर्णय।

वी. जी. सी. रॉय ने इस मुद्दे को पूरी तरह से निपटाया, अर्थात्, मध्यस्थ न्यायाधिकरण की पूर्व-संदर्भ और लंबित ब्याज देने की शक्ति। संविधान पीठ ने निश्चित रूप से 1940 के अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ निकाला जो उस समय प्रचलित था। साथ ही, संविधान पीठ ने ब्याज देने के सिद्धांत पर भी विचार किया

सामान्य कानून के सिद्धांतों को लागू करना। इसने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य कानून के तहत, मध्यस्थ को पूर्व-संदर्भ, विचाराधीन या पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने का अधिकार है। इस प्रस्ताव को निम्नलिखित तर्क के साथ तैयार किया गया थाः

" 43. सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्यस्थ के पास ब्याज लटकाने का अधिकार है, और यदि है तो किस सिद्धांत पर। हमें दोहराना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जहां समझौते में इस तरह के ब्याज के अनुदान का प्रावधान नहीं है और न ही है यह इस तरह के अनुदान को प्रतिबंधित करता है। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां समझौता ब्याज देने के बारे में चुप है। उस पर

उपरोक्त निर्णयों का एक परिप्रेक्ष्य, निम्नलिखित

सिद्धांत उभरते हैंः

((i) एक व्यक्ति जो उस धन के उपयोग से वंचित है जिसके लिए वह है।

वैध रूप से हकदार को अभाव के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से बुलाए। इसे ब्याज, क्षतिपूर्ति या नुकसान कहा जा सकता है। यह बुनियादी विचार मान्य है।

उस अवधि के लिए विवाद मध्यस्थ के समक्ष लंबित है क्योंकि यह मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 का सिद्धांत है और मध्यस्थ के मामले में अन्यथा मानने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है।

((ii) पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक मध्यस्थ एक वैकल्पिक रूप (एस. आई. सी. मंच) है। यदि ऐसा है, तो उसके पास पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मध्यस्थ के पास ब्याज लटकाने की कोई शक्ति नहीं है, तो यह दावा करने वाले पक्ष को उस उद्देश्य के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, भले ही उसने प्राप्त किया हो।

मध्यस्थ से अन्य दावों के संबंध में संतुष्टि। यह

कार्यवाही की बहुलता को बढ़ावा देगा।

((iii) मध्यस्थ एक समझौते का निर्माता होता है। इसके लिए खुला है

पक्षकारों को उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने और उसके लिए ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए, जो वे उचित समझते हैं, जब तक कि वे कानून के खिलाफ नहीं हैं। (मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 और धारा 3 का प्रावधान इस बिंदु को स्पष्ट करता है)। वैसे भी, समझौता

कानून के अनुरूप होना चाहिए। मध्यस्थ को देश के सामान्य कानून और समझौते के अनुसार भी कार्य करना चाहिए और अपना निर्णय देना चाहिए।

(iv) वर्षों से, अंग्रेजी और भारतीय अदालतों ने इस धारणा पर काम किया है कि जहां समझौता निषेध नहीं करता है और संदर्भ का एक पक्ष ब्याज के लिए दावा करता है, मध्यस्थ के पास ब्याज लंबित देने की शक्ति होनी चाहिए। थावरदास [सेठ थावरदास फेरुमल बनाम। भारत संघ, (1955) 2 एससीआर 48: ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 468] का इस न्यायालय के बाद के फैसलों में पालन नहीं किया गया है। यह इस आधार पर समझाया और अलग किया गया है कि उस मामले में ब्याज का कोई दावा नहीं था, बल्कि केवल एक दावा था

अपरिवर्तित क्षति के लिए। बार-बार कहा गया है कि उक्त निर्णय में टिप्पणियों का उद्देश्य किसी भी ऐसे निरपेक्ष या सार्वभौमिक नियम को निर्धारित करना नहीं था जैसा कि वे पहले प्रतीत होते हैं।

प्रभाव पड़ता है। जेना मामला [(1988) 1 एस. सी. सी. 418 तकः (1988) 1 एस. सी. आर. 253] देश की लगभग सभी अदालतों ने मध्यस्थ की ब्याज लंबित राशि देने की शक्ति को बरकरार रखा था। निरंतरता और

निश्चितता कानून की एक अत्यधिक वांछनीय विशेषता है।

(v) विचाराधीन ब्याज मूल कानून का विषय नहीं है, जैसे कि संदर्भ (पूर्व-संदर्भ) से पहले की अवधि के लिए ब्याज। अवधि)। पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, ऐसी शक्ति

हमेशा अनुमान लगाया गया है "।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने सभी सिद्धांतों पर पीछे हटने का फैसला किया कि एक व्यक्ति जो धन के उपयोग से वंचित है, वह वैध रूप से हकदार है, उसे राशन के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है और इसलिए, इस तरह के मुआवजे को ब्याज कहा जा सकता है।

क्षति या क्षति।

(ख) एक उत्तराधिकारी के रूप में, मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा, चाहे वह समझौता ही क्यों न हो।

पक्ष इस बारे में चुप थे कि ब्याज दिया जाना है या जयप्रकाश एएसएसओसी।

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

(ग) इसके विपरीत, यदि पक्षों के बीच समझौता विशेष रूप से

ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित करता है, मध्यस्थ ऐसे मामलों में लंबित ब्याज नहीं दे सकता है। यह प्रस्ताव इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक मध्यस्थ एक समझौते का निर्माता है और उसे ऐसा करना चाहिए

देश के सामान्य कानून और समझौते के अनुसार कार्य करें और अपना पुरस्कार दें। इसके बाद हुई चर्चा में जी. सी. रॉय मामले में यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई थीः

" 44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि

निम्नलिखित सही सिद्धांत है जिसका पालन किया जाना चाहिए

की ओर सेः

जहाँ पक्षों के बीच समझौता निषेध नहीं करता है

ब्याज का अनुदान और जहाँ कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और वह

विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या

स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को संदर्भित किया जाता है, उसके पास होगा

लघु ब्याज देने की शक्ति। यही कारण है कि

कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज एक था

पक्षों के बीच समझौते की निहित अवधि और

इसलिए जब पक्ष अपने सभी विवादों का उल्लेख करते हैं

या संदर्भ लें

ब्याज के बारे में विवाद-मध्यस्थ के लिए, वह ब्याज देने की शक्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि

प्रत्येक मामले में मध्यस्थ को अनिवार्य रूप से ब्याज देना चाहिए।

हल्का लटकता है। यह एक ऐसा मामला है जिसका प्रयोग उसके विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, न्याय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए "।

(घ) जहाँ तक 1940 के अधिनियम का संबंध है, वह इस बारे में चुप था -

विचाराधीन लघु ब्याज देने में मध्यस्थ की अधिकारिता। हालाँकि, जहाँ तक 1996 के अधिनियम का संबंध है, इस पहलू पर एक महत्वपूर्ण विचलन है। सईद अहमद के मामले में इस अंतर को निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया गया हैः

" रीः कार्रवाई के कारण की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक ब्याज

7. ऊपर उल्लिखित ब्याज से संबंधित मुद्दा इसके इर्द-गिर्द घूमता है।

तकनीकी प्रावधानों का खंड जी. 1.09

अनुबंध नीचे निकाला गया हैः

" जी. 1.09. ब्याज या नुकसान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में जो

सरकार के पास हो सकता है या कोई देय हो सकता है

के बीच किसी भी विवाद, अंतर या गलतफहमी के लिए

एक ओर इंजीनियर-प्रभारी और दूसरी ओर [2019] 2 एस. सी. आर. पर ठेकेदार।

दूसरी ओर या किसी भी देरी के संबंध में

आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता या

कोई अन्य सम्मान जो भी हो। "

XX

XX

X

X

14. पुरस्कारों के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय

के बीच अंतर करते हुए पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत

इसमें यह अवलोकन कि मध्यस्थ को निर्णय देने का विवेकाधिकार है किसी भी प्रतिबंध के बावजूद लटकती अवधि के दौरान ब्याज

मध्यस्थता द्वारा शासित मध्यस्थताओं पर लागू और सुलह अधिनियम, 1996 "।

13. श्री कामची अम्मन में उपरोक्त स्थिति दोहराई गई है।

निर्माण v. डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट & Ors.6 और भारत संघ v. ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड। बाद में फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया जाता है। इस कानूनी स्थिति को श्री चित्तरंजन मैती बनाम में दोहराया गया है। भारत संघ जो हम में से एक (नजीर, जे.) द्वारा लिखा गया है। उस मामले में, न्यायालय ने उसी प्रश्न पर विचार किया जो हमारे द्वारा निर्धारण के लिए आता है, अर्थात्, क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में विलंबित भुगतान पर ब्याज देने में उचित था? यह देखने के बाद कि जी. सी. सी. का खंड 16 (2) उस मामले में ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, यह था

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1996 के अधिनियम के तहत, वह स्थिति जिसमें 1940 के अधिनियम से अलग है, ब्याज नहीं दिया जा सकता है। इस निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

" 16. अम्बिका निर्माण में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

वी. भारत संघ [अम्बिका निर्माण बनाम। भारत संघ,

प्रस्तुत करता है कि केवल देय राशि पर ब्याज देने के लिए प्रतिबंध अनुबंध के तहत भुगतान से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा

कम ब्याज। इसलिए, मध्यस्थ को न्यायसंगत ठहराया गया था

लटकन लाइट ब्याज प्रदान करना। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि

अम्बिका निर्माण [अम्बिका निर्माण बनाम। भारत संघ,

(2017) 14 एस. सी. सी. 323] कि क्या यह इसके तहत तय किया गया था

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में "1940 अधिनियम") या 1996 के तहत

6 2010) 8 एस. सी. सी. 767

(2015) 9 एस. सी. सी. 695

$ (2017) 9 एस. सी. सी. 611 जयप्रकाश ए. एस. ओ. सी.

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

एक्ट करें। इसने उड़ीसा राज्य बनाम में संविधान पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया है। जी. सी. रॉय [उड़ीसा राज्य बनाम। जी. सी. रॉय (1992) 1 एस. सी. सी. 508]। यह निर्णय 1940 के अधिनियम के संदर्भ में था। में 1940 अधिनियम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो मध्यस्थ को पूर्व-संदर्भ, विचाराधीन या पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने से रोकता हो, जबकि 1996 के अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कहता है कि यदि समझौता पूर्व-पुरस्कार अवधि के लिए ब्याज देने से रोकता है, तो मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। इसलिए, अंबिका निर्माण में निर्णय

[अम्बिका कंस्ट्रक्शन वी. भारत संघ, (2017) 14 एस. सी. सी. 323]

तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

14. रिलायंस सेल्युलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मामले में हाल के एक फैसले में v. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ", इस विषय पर पूरे मामले के कानून पर फिर से विचार किया जाता है और कानूनी स्थिति पर फिर से जोर दिया जाता है।

वह भी एक ऐसा मामला था जो 1940 के अधिनियम के तहत सामने आया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1940 के अधिनियम के तहत, एक मध्यस्थ को पूर्व निर्देश देने की शक्ति है

ब्याज अधिनियम के तहत ब्याज के साथ-साथ विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज, हालांकि, वह केवल इस तथ्य से सीमित है कि दोनों के बीच एक समझौता

पक्षकारों में पूर्व-संदर्भ और/या लंबित ब्याज के पुरस्कार के लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध हो सकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने ऐसे खंडों के सख्त निर्माण का परीक्षण विकसित किया है, और जब तक कि एक मध्यस्थ द्वारा दिए जा सकने वाले ब्याज के भुगतान पर एक स्पष्ट और स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, तब तक ऐसे खंड जो मध्यस्थों के समक्ष दावों या पक्षों के बीच विवादों का उल्लेख नहीं करते हैं और स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान पर रोक नहीं लगाते हैं, एक मध्यस्थ के पूर्व-संदर्भ या लंबित ब्याज देने के रास्ते में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा, जब तक कि कोई ठेकेदार इस बात से सहमत नहीं होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद, मतभेद, या गलतफहमी के कारण या इंजीनियर की ओर से देरी के संबंध में या किसी अन्य मामले में ब्याज के किसी भी दावे पर दूसरे पक्ष द्वारा विचार या भुगतान नहीं किया जाएगा, जिससे न्यायालय ब्याज के भुगतान के खिलाफ एक स्पष्ट बार ढूंढ लेगा, एक खंड जो केवल यह बताता है कि अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, एक मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा, विचाराधीन लघु ब्याज का अनुदान समझौते में उपयोग किए गए वाक्यांश, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंड, प्रकृति पर निर्भर करता है।

मध्यस्थ को निर्दिष्ट दावे और विवाद का, और किन मदों पर ब्याज देने की शक्ति छीन ली गई है और किस अवधि के लिए। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) के तहत स्थिति पूरी तरह से अलग है।

जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) कारीगरों के बीच समझौतों को पवित्र मानती है और कहती है कि जिस क्षण समझौता अन्यथा कहता है, नहीं।

ईएसटी कार्रवाई के कारण की तारीख से देय हो जाता है जब तक कि

वार्ड दिया जाता है।

15. विषय पर लगभग सभी निर्णयों पर चर्चा और विश्लेषण करने के बाद, कानूनी स्थिति का सारांश निम्नलिखित तरीके से दिया गया हैः

" 24. जिन निर्णयों को संदर्भित किया गया है, उनका अवलोकन

उपरोक्त से पता चलता है कि 1940 के अधिनियम के तहत, एक मध्यस्थ को ब्याज अधिनियम के तहत पूर्व-संदर्भ ब्याज देने की शक्ति है,

1978 साथ ही पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज। हालाँकि, वह केवल इस तथ्य से सीमित है कि पक्षों के बीच एक समझौते में पूर्व-संदर्भ और या लंबित ब्याज के पुरस्कार के लिए एक स्पष्ट बार हो सकता है। चूँकि ब्याज प्रतिपूरक प्रकृति का होता है और समय पर मूल राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर परजीवी होता है, इसलिए इस न्यायालय ने उन खंडों पर आपत्ति जताई है जो

एक मध्यस्थ द्वारा, ऐसे खंड जो मध्यस्थों के समक्ष दावों या पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित नहीं करते हैं और स्पष्ट रूप से भुगतान पर रोक लगाते हैं ब्याज की स्थिति में, पूर्व संदर्भ या लंबित ब्याज प्रदान करने वाले मध्यस्थ के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। इस प्रकार, जब कोई दूसरे अम्बिका निर्माण मामले में खंड जैसे खंड की तुलना करता है

[अम्बिका कंस्ट्रक्शन वी. भारत संघ, (2017) 14 एस. सी. सी. 323: (2018) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 257] टिहरी पनबिजली विकास निगम में खंड के साथ। लिमिटेड [टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (2012) 12 एस. सी. सी. 10: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 122], यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई ठेकेदार इस बात से सहमत नहीं होता है कि पक्षकारों के बीच विवाद, मतभेद, या गलतफहमी के कारण या इंजीनियर की ओर से या किसी अन्य मामले में देरी के संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा ब्याज के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा या देय नहीं होगा, जिससे न्यायालय ब्याज के भुगतान के खिलाफ एक स्पष्ट बार ढूंढने के लिए प्रेरित होगा, एक खंड जो केवल यह बताता है कि देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अनुबंध के तहत ठेकेदार को 1940 के अधिनियम के तहत एक मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि प्रथम अम्बिका निर्माण मामले में आयोजित किया गया है [संघ]

भारत का वी. अम्बिका निर्माण, (2016) 6 एस. सी. सी. 36: (2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 36], पेंडेंट लाइट ब्याज का अनुदान जयप्रकाश ए. एस. एस. ओ. सी. पर निर्भर करता है।

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

समझौते में प्रयुक्त वाक्यांश, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंड, मध्यस्थ को संदर्भित दावे और विवाद की प्रकृति, और किन मदों पर ब्याज देने की शक्ति छीन ली गई है और किस अवधि के लिए। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि उपरोक्त कुछ निर्णयों में जिस स्थिति की व्याख्या की गई है

1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) के तहत, पूरी तरह से अलग है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) पक्षों के बीच समझौतों को पवित्र मानती है और कहती है कि जिस क्षण समझौता कहता है

अन्यथा, तारीख से कोई ब्याज देय नहीं होता है।

पुरस्कार दिए जाने तक कार्रवाई का कारण "।

16. इस पूरे मामले में और विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला 1996 के अधिनियम द्वारा विनियमित है, हमें इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। इस स्तर पर ही, यह उल्लेख किया जा सकता है कि यदि जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ब्याज देने के लिए रोक लगा दी है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मध्यस्थता कार्यवाही के चरण से लेकर उच्च न्यायालय तक, इन खंडों की व्याख्या यह अभिनिर्धारित करने के लिए की जाती है कि वे मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर इस तरह का प्रतिबंध लगाते हैं। यहां तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय ने भी इसे मान्यता दी। इसके बावजूद, इसने पोर्ट ऑफ कलकत्ता मामले के लिए न्यासी मंडल पर भरोसा करके ब्याज प्रदान किया। उच्च न्यायालय,

एकल पीठ के साथ-साथ खंड पीठ दोनों ने सही कहा कि उपरोक्त निर्णय 1940 के अधिनियम के तहत था और इस संबंध में कानूनी स्थिति ने एक आदर्श बदलाव लिया है जो सईद अहमद और कंपनी मामले में स्थिति स्पष्ट की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्क उस कानूनी स्थिति के अनुरूप है जो ऊपर बताए गए निर्णयों के आधार पर स्पष्ट है।

17. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण भी उतना ही विश्वसनीय है। जी. सी. सी. के खंड 50 और 51 खंड 1.2.14 के साथ समान हैं और

1.2.15 टी. एच. डी. सी. मामले में जी. सी. सी. उन खंडों की व्याख्या यह मानते हुए की गई है कि ठेकेदार को विलंबित भुगतान के दावे पर कोई ब्याज देय नहीं है। इन खंडों के संबंध में अपनाया गया वही निर्माण, जो वास्तव में एक ही पक्ष के बीच का मामला है, बिना किसी दोष के है।

18. इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी का एकमात्र तर्क जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या ऐसा निर्माण इसके विपरीत है -

हरीश चंद्र मामले में निर्णय।

19. इस तर्क का पूरा जवाब रिलायंस सेल्युलोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के फैसले में दिया गया है। बाद में हुई चर्चा

जिसमें टी. एच. डी. सी. निर्णय पर चर्चा की गई है, वह इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगाः

" इसके अलावा, टिहरी पनबिजली विकास निगम के खंड के विपरीत

लिमिटेड (सुप्रा), खंड 16 में ऐसी भाषा नहीं है जो इतनी व्यापक प्रकृति की हो कि वह मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से रोक दे। यह याद रखा जाएगा कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) के खंड में कहा गया है कि किसी भी धन के संबंध में ब्याज के लिए कोई दावा नहीं किया जा रहा है या देय नहीं है जो पार्टियों के बीच विवादों, मतभेद या गलतफहमी के कारण सरकार के पास हो सकता है और न केवल देरी या चूक के संबंध में; इसके अलावा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (उपर्युक्त) में खंड बहुत आगे जाता है और

यह स्पष्ट करता है कि ब्याज के लिए कोई भी दावा "किसी भी अन्य मामले में" देय नहीं है।

यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त निर्णय में हरीश चंद्र मामले पर भी चर्चा की गई है। सबसे पहले, चंद्र मामले में निर्णय 1940 के अधिनियम के तहत है। अधिक विशेष रूप से, सईद अहमद एंड कंपनी में इस शब्द को समझाया और अलग किया गया है।

निम्नलिखित परिच्छेदों में:

" 17. अपीलार्थी ने यू. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया। हरीश चंद्र एंड कंपनी [(1999) 1 एस. सी. सी. 63] ने तर्क दिया कि अनुबंध का खंड 1 9 ब्याज के पुरस्कार पर रोक नहीं लगाता है। ब्याज को रोकने वाला खंड जो विचार के लिए गिर गया

उस निर्णय में निम्नानुसार था: (एस. सी. सी पी. 67, पैरा 9)

" 1.09 . विवाद आदि के कारण भुगतान में देरी के लिए कोई दावा नहीं।

ब्याज या हर्जाने के लिए सरकार द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा जो किसी भी विवाद, अंतर या समय-समय पर या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता के बीच गलतफहमी के कारण सरकार के पास हो सकता है। जो भी हो उसका सम्मान करें। "

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त खंड ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है

हर्जाने के लिए या काम के लिए भुगतान के लिए किसी भी दावे पर किया। हम इस तरह के निर्णय के लिए तर्क नीचे निकालते हैं: (एस. सी. सी पी.

67 , पैरा 10)

" 10. खंड पर केवल एक नज़र डालने से पता चलता है कि नुकसान के रूप में ब्याज के दावे पर विचार नहीं किया जाना था सरकार केवल एक निर्दिष्ट प्रकार की राशि के संबंध में, अर्थात् कोई भी धन या शेष राशि जो किसी भी विवाद के कारण सरकार के पास पड़ी हो, AIPRAKAS ASSOC के बीच अंतर है।

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

इंजीनियर-प्रभारी और ठेकेदार; या गलतफहमी

निर्माण में प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच आवधिक या अंतिम भुगतान या किसी अन्य मामले में जो भी हो।

शब्द 'या किसी अन्य मामले में जो भी हो' का भी उल्लेख किया गया है।

समझौते के अनुसार सरकार के साथ झूठ बोलना अर्थात् प्रतिभूति जमा या प्रतिधारण राशि या कोई

अन्य राशि जो सरकार के पास हो सकती है

और जिसका धनवापसी द्वारा रोका जा सकता था

सरकार। नुकसान के लिए दावा या भुगतान के लिए दावा

किए गए काम के लिए और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था

जाहिर है कि किसी भी पैसे को कवर करें जिसे झूठ कहा जा सकता है सरकार के साथ। नतीजतन, एक्सप्रेस भाषा पर

इस खंड में ऐसा कोई निषेध नहीं है जिसे हटाया जा सके।

प्रत्यर्थी ठेकेदार के खिलाफ कि वह नहीं उठा सका

मध्यस्थ के समक्ष हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा

न्यायनिर्णयन के लिए रखे गए प्रासंगिक मद "।

(जोर दिया गया)

18. हरीश चंद्र [(1999) 1 एस. सी. सी. 63] में एक अलग संस्करण है।

खंड 1.09 पर विचार किया गया। प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए उस खंड के शब्दों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है

हानि के दावे पर ब्याज या भुगतान के लिए दावा काम किया गया और जिसका भुगतान नहीं किया गया। इस न्यायालय ने कहा कि

उक्त खंड केवल उन राशियों पर ब्याज देने पर रोक लगाता है जो

प्रतिभूति जमा के माध्यम से सरकार के पास झूठ बोल रहा हो सकता है

प्रतिधारण राशि या कोई अन्य राशि, जिसका प्रतिदाय किया गया था सरकार द्वारा रोक दिया गया।

19. लेकिन वर्तमान मामले में, खंड जी. 09 काफी अलग है।

इसमें विशेष रूप से प्रावधान है कि इस संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

किसी भी धन का जो किसी विवाद के कारण देय हो सकता है,

प्रभारी अभियंता के बीच अंतर या गलतफहमी

और ठेकेदार या किसी देरी के संबंध में

आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता

किसी भी अन्य सम्मान का सम्मान। खंड के तहत प्रतिबंध

G. 09 इस मामले में निरपेक्ष होने के कारण, हरीश चंद्र में निर्णय

[(1999) 1 एस. सी. सी. 63] किसी भी तरह से अपीलार्थी की सहायता नहीं करेगा।

20. यह भी ध्यान देने योग्य है कि सईद अहमद मामले में फैसला

हरीश चंद्र में प्रतिबंधात्मक शब्दों को अलग करने वाली कंपनी इसके बाद कई मामलों में इस न्यायालय ने लगातार इसका पालन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस परिदृश्य में, जब हम पाते हैं कि हरीश चंद्र मामला जो 1940 के अधिनियम का पुराना है और सईद अहमद एंड कंपनी में इस तथ्य के साथ अलग है कि सईद अहमद एंड कंपनी के अनुपात का लगातार पालन किया गया है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पहली बार में और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जीसीसी के खंड 50 और 51 के निर्माण से विचलित होने का कोई कारण नहीं है। इन सबसे ऊपर, ये खंड 1.2.14 और 1.2.15 के खंडों के साथ समान हैं।

टी. एच. डी. सी. मामले में जी. सी. सी. जो उन्हीं पक्षों के बीच एक निर्णय था।

21. जहां तक न्याय के सिद्धांत पर आधारित तर्क का संबंध है, डिवीजन बेंच ने माना है कि यह निम्नलिखित में लागू नहीं होता है -

वर्तमान मामला। हम पाते हैं कि यह उचित ही है। एजुस्डेम जेनरिस निर्माण का नियम है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया है:

" 18. इजसडेम जेनरिस का नियम हमें मार्गदर्शन करता है कि जहां दो या दो से अधिक शब्द या वाक्यांश जो समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हैं, उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, तो उन्हें उनके संज्ञानात्मक अर्थ में समझा जाना चाहिए और एक दूसरे से रंग लेना चाहिए, लेकिन केवल तभी जब कोई अलग वंश या श्रेणी हो।

जहाँ इसकी कमी है अर्थात जब तक कोई श्रेणी नहीं है, नियम लागू नहीं हो सकता है।

जैसा कि उचित रूप से माना जाता है, एजुस्डेम जेनरिस का नियम केवल तभी लागू होगा जब एक अलग जीनस या एक श्रेणी हो, जिसकी तत्काल मामले में कमी हो। यह नियम तब लागू होता है जब किसी खंड, श्रेणी या वंश से संबंधित विशेष शब्दों के बाद सामान्य शब्द होते हैं। ऐसी स्थिति में,

सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों तक सीमित माना जाता है जो निर्दिष्ट हैं। इस अर्थ में, यह नियम व्याख्या के अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट और सामान्य शब्दों के बीच असंगतता को मिलाने के प्रयास को दर्शाता है कि एक क़ानून में सभी शब्दों को यदि संभव हो तो प्रभाव दिया जाता है, कि एक क़ानून को समग्र रूप से समझा जाना है और कि एक क़ानून में किसी भी शब्द को अनावश्यक नहीं माना गया था। (लोकमत न्यूजपेपर्स प्राइवेट देखें। लिमिटेड वी. शंकरप्रसाद 1)। वास्तव में, इसी तरह के खंड का अर्थ लगाते हुए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय v. ग्लोब हाई-फैब्स लिमिटेड 1 1 ने माना है कि इजसडेम जेनरिस का नियम लागू नहीं होता है।

जैसे कि:

“ 12. इजस्डेम जेनरिस के नियम को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह कानून का एक अलंघनीय नियम नहीं है, लेकिन यह केवल

10 (1999) 6 एससीसी 275 1 1 (2015) 5 एस. सी. सी. 718 ए. आई. पी. आर. ए. के. ए. एस. ओ. सी.

लिमिटेड। (जे. ए. एल.) वी. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

इसके विपरीत संकेत के अभाव में अनुमेय निष्कर्ष, और जहां संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य और शरारत के लिए सामान्य महत्व के शब्दों के साथ सीमित अर्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन शब्दों को उनका स्पष्ट और सामान्य अर्थ देना अदालतों का कर्तव्य बन जाता है। जैसा कि लॉर्ड स्कारमैन ने कहा हैः

" यदि किसी कानून का विधायी उद्देश्य ऐसा है कि

श्रृंखला को सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए यह नियम सहायक है।

लेकिन, यदि ऐसा नहीं है, तो नियम को पूरा करने की तुलना में हारने की अधिक संभावना है

कानून का उद्देश्य। कई अन्य नियमों की तरह नियम

वैधानिक व्याख्या, एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक बुरा स्वामी है।

इसलिए सामान्य शासन के आधार पर एक संकीर्ण निर्माण को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर संसद के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक निर्माण को रास्ता देना पड़ सकता है।

XX

XX

XX

15. यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि इजसडेम जेनरिस नियम लागू नहीं है, इसका जरूरी अर्थ यह नहीं है कि "अन्य" शब्द या इसी तरह के सामान्य शब्दों के प्रथम दृष्टया व्यापक अर्थ को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है यदि भाषा या संदर्भ और अधिनियम की नीति एक प्रतिबंधित निर्माण की मांग करती है। में

अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र का दोष या समान प्रकृति का अन्य कारण" जैसा कि वे सीमा अधिनियम की धारा 14 (1) में पाए जाते हैं, "अन्य कारण" शब्दों की व्यापकता को स्पष्ट रूप से "समान प्रकृति के" शब्दों द्वारा काट दिया जाता है, हालांकि इजस्डेम जेनरिस का नियम सख्ती से है यह एक प्रजाति के रूप में लागू नहीं होता है क्योंकि "अधिकार क्षेत्र का दोष" एक जीनस का गठन नहीं करता है। एक अन्य उदाहरण जिसका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 है जो

इस या किसी अन्य पक्ष में प्राधिकृत किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिकार देता है।

अनुमति दें। इस खंड में "अन्य व्यक्ति" शब्दों को एकल के उल्लेख के लिए इजस्डेम जेनरिस के नियम से नहीं समझा जा सकता है। प्रजाति, अर्थात्, "पुलिस अधिकारी" एक वंश का गठन नहीं करता है, लेकिन वाहनों को हिरासत में लेने और जब्त करने की शक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना उचित है कि "अन्य व्यक्ति" शब्द सरकारी अधिकारियों की श्रेणी तक ही सीमित थे। उसी श्रेणी में "लिखित बयान दायर करने या कार्यवाही में कोई अन्य कदम उठाने से पहले" शब्दों की व्याख्या करने का मामला आता है क्योंकि वे [2019] 2 एस. सी. आर.

मध्यस्थता के लाभ को माफ करने का इरादा प्रकट करना समझौता, हालांकि एजुस्डेम जेनरिस के नियम में किसी एक प्रजाति का उल्लेख करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। लिखित कथन नहीं है

एक वंश का गठन करता है।

16. वर्तमान मामले में हमने देखा कि ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है। यह "किसी भी राशि के कारण" शब्दों का उपयोग करता है।

नियोक्ता द्वारा ठेकेदार "। हमारी राय में, इन शब्दों को पहले के शब्दों "गंभीर" के साथ एजुस्डेम जेनरिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

धन "या" प्रतिभूति जमा "।

22. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह मानना होगा कि विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष सही हैं।

ई. ई. डी. कोई हस्तक्षेप नहीं। इस अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

याचिका

खारिज कर दी गई।

ए. के. त्रिपाठी